अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com



***राकेश कुमार जैन से पहले जे.***

**मैसर्स नितेश एस्टेट्स लिमिटेड-***याचिकाकर्ता*बनाम

**सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सुविधा**
**हरियाणा एवं अन्य परिषद-***उत्तरदाताओं*

**2018 का सीडब्ल्यूपी नंबर 21088**

सितम्बर 07, 2018

***(A) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006-एसएस.2(एन) और 8(1) धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दाखिल करना सूक्ष्म या लघु उद्यमों के लिए एक शर्त नहीं है जो अन्यथा अधिनियम के तहत इस तरह के विवरण को संतुष्ट करता है। धारा 2(एन) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाना है- इंदौर जिला सहकारी विपणन सोसायटी लिमिटेड वी. मेसर्स माइक्रोप्लेक्स (इंडिया), हैदराबाद और मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम माइक्रो एंड स्मॉल उद्यम सुविधा परिषद, पर भरोसा किया।***

*आयोजित,*मैं विनम्रतापूर्वक द इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) और मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामलों में दिए गए तर्क का पालन करूंगा, जो धारा 2 (एन) की व्याख्या करते समय दर्ज किया गया था। अधिनियम में यह माना गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दायर की गई शिकायत कायम रखने योग्य है। इस प्रकार पहला प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

(पैरा 16)

***(B) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006-एस.18(3)-अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही तब भी हो सकती है, भले ही समझौते में मध्यस्थता खंड हो- वेलस्पन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम के निष्कर्ष सूक्ष्म और लघु, मध्यम उद्यम सुविधा परिषद पर भरोसा किया।***

*पर आयोजित*अंत में जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने सही ही कहा है कि बड़ी राशि वर्ष 2017 की है जो याचिका के साथ संलग्न चालान से स्पष्ट है और दूसरी बात यह है कि इस मामले में सीमा का

प्रश्न एक मिश्रित प्रश्न है। कानून और तथ्य जिस पर परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(पैरा 20)

अबीर फुकन, वकील, कंवरदीप सिंह, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों की ओर से आशीष चोपड़ा, वकील।

**राकेश कुमार जैन, जे.**

(1) इस याचिका में की गई प्रार्थनाएं सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद हरियाणा/प्रतिवादी नंबर 1 के नोटिस दिनांक 13.3.2018 और आदेश दिनांक 7.6.2018 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए हैं [इसके बाद 'काउंसिल] के रूप में जाना जाता है और काउंसिल द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 24.7.2018 है।

(2) संक्षेप में, याचिकाकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है जो रियल एस्टेट के कारोबार में लगी हुई है जबकि प्रतिवादी नंबर 2 गुरुग्राम में स्थित एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 ने 23.7.2014 को 8 महीने की अवधि के लिए "चैनल पार्टनर एग्रीमेंट" नामक एक समझौता किया, जिसके अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 परियोजनाओं में फ्लैटों की बिक्री की व्यवस्था और बातचीत के लिए ब्रोकरेज का हकदार था। बेंगलुरु में याचिकाकर्ता की. उक्त अनुबंध दिनांक 11.12.2014 को समाप्त कर दिया गया। प्रतिवादी नंबर 2 ने दिनांक 3.01.2015 को एक पत्र भेजा जिसमें याचिकाकर्ता को दलाली के लिए 12,74,847/- रुपये और हर्जाने के लिए 6,00,00,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। प्रतिवादी नंबर 2 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 [इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित] की धारा 8 के तहत एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकरण के लिए 17.3.2016 को आवेदन किया था और तदनुसार पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने धारा 433(2) और (एफ) के तहत याचिका दायर की

कंपनी अधिनियम, 1956 [संक्षेप में 'अधिनियम'] के समापन के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ सितंबर, 2017 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंगलुरु [संक्षेप में 'एनसीएलटी'] के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो लंबित है। प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [SEBI] के साथ 28.12.2017 को पंजीकरण संख्या SEBIP/MH17/0005372/1 के साथ एक दावा भी उठाया, जिसे खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने

प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अधिनियम के तहत 2018 के दावा आवेदन संख्या 460 के साथ एक याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता को 13.3.2018 को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब 2.4.2018 को दायर किया गया था, लेकिन 06.06.2018 को।, प्रतिवादी नंबर 1 ने आक्षेपित आदेश पारित किया और प्रतिवादी नंबर 2 के दावे को सरकार द्वारा अधिसूचित पैनल में शामिल मध्यस्थ प्रतिवादी नंबर 3 के पास भेज दिया। याचिकाकर्ता को 7.8.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिनांक 24.7.2018 का नोटिस प्राप्त हुआ।

(3) यह याचिका 13.8.2018 को दायर की गई है ताकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी/पारित आदेश दिनांक 13.3.2018 और आदेश दिनांक 7.6.2018 और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 24.7.2018 के नोटिस को चुनौती दी जा सके, अन्य बातों के अलावा, जमीन पर प्रतिवादी नंबर 2 को 17.3.2016 को एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से पंजीकृत किया गया था और इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अधिनियम के तहत पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए नहीं उठाया जा सकता है, प्रतिवादी नंबर 1 समझौते में मध्यस्थता खंड के मद्देनजर अधिनियम की धारा 18(3) के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने का हकदार नहीं था, दावा अन्यथा समय बाधित है क्योंकि समझौता 11.12.2014 को समाप्त हो गया था और 2018 की दावा याचिका संख्या 460 11.01.2018 को दायर की गई थी।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने गैट्स फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड बनाम उद्योग निदेशक-सह-अध्यक्ष, औद्योगिक सुविधा परिषद और अन्य1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया है। मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्रा. लिमिटेड बनाम श्री अनुराग दीपक और मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2।

(5) समझौते में मध्यस्थता खंड के बारे में उनकी दूसरी प्रस्तुति के समर्थन में, मेसर्स के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल, संयुक्त निदेशक3 के माध्यम से और मेसर्स हिंदुस्तान वायर्स लिमिटेड बनाम श्री आर.सुरेश और अन्य4 के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक अन्य निर्णय।

(6) यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने एनसीएलटी के समक्ष अधिनियम की धारा 433 (ई) और (एफ) के तहत दायर याचिका में 11,54,678/- रुपये की स्वीकृत देनदारी का दावा किया है, जबकि पहले का दावा प्रतिवादी नंबर 1 की राशि के लिए स्थापित किया गया है
रु.1,32,44,191/- ब्याज सहित।

(7) प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों पर इस याचिका का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 17.3.2016 के माध्यम से एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया है और बनाया गया है। इसके पंजीकरण से पहले अर्जित राशि का दावा लेकिन उनके अनुसार पंजीकरण केवल एक योग्यता है और प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष आवेदन को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है और

[1] (2016) 183 पीएलआर 776

[2] 2013 (7) बम सीआर 631

[3] एआईआर 2012 बम 178

[4] 2013 एससीसी ऑनलाइन बम 547

2012 की रिट याचिका संख्या 35872 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसका शीर्षक द इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मेसर्स माइक्रोप्लेक्स (इंडिया), हैदराबाद और दूसरा 27.10.2015 को दिया गया फैसला है। 2017 के WP (C) 5004 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय जिसका शीर्षक मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल है और दूसरा निर्णय 04.07.2018 को दिया गया। उन्होंने वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड बनाम सूक्ष्म और लघु, मध्यम उद्यम सुविधा परिषद, पंजाब और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया है।[1] और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, COFMOW बनाम हरियाणा की सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद और अन्य[2].

[1]2012(2) पीएलआर 195

[2]2015(2) पीएलआर 692

(8) जहां तक सीमा का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता भी साफ-सुथरे हाथों से अदालत में नहीं आया है क्योंकि उसने एनसीएलटी के समक्ष 2015 के सीपी संख्या 248 में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस आधार पर इसे खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था कि प्रतिवादी नंबर 2, प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष अधिनियम के तहत कथित समान राशि के लिए और कंपनी की याचिका और शिकायत में उल्लिखित राशि के अंतर के बारे में अपनी शिकायत का पीछा कर रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी की याचिका अक्टूबर और नवंबर, 2014 के चार चालानों के संबंध में वर्ष 2015 में दायर की गई थी, जबकि शिकायत में मई, 2017 के महीने के 5वें चालान की राशि रु। .94,05,173/. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि परिसीमा का प्रश्न इस प्रकार कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होगा जिसका निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जा सकता है।

(9) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(10) इससे पहले कि मैं मामले की खूबियों पर चर्चा करूं, अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों जैसे कि धारा 2 (एन), 8, 18 और 24 का उल्लेख करना उचित होगा जो निम्नानुसार हैं: -

"2(एन) "आपूर्तिकर्ता" का अर्थ एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, जिसने धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दायर किया है, और इसमें शामिल हैं -

(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, एक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत है;

(ii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी है;

(iii) कोई भी कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या निकाय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या गठित किया गया हो और सूक्ष्म या लघु उद्यमों

द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने और ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेचने में लगा हुआ हो। ।"

**"8.ज्ञापन का सूक्ष्म, छोटा और मध्यम उद्यम.-**

1. कोई भी व्यक्ति जो स्थापित करने का इरादा रखता है,

a. एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने विवेक पर, या

b. सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने विवेक पर; या

c. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु या, जैसा भी मामला हो, मध्यम का ज्ञापन दाखिल करेगा। ऐसे प्राधिकार के साथ उद्यम जो उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार या उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले (ए) स्थापित किया हो। एक लघु उद्योग और अपने विवेक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है; और

(बी) पहले में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक उद्योग
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची, संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं है और, पूर्ववर्ती उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में ( औद्योगिक विकास विभाग) क्रमांक एसओ
477(ई) दिनांक 25 जुलाई, 1991 ने एक औद्योगिक उद्यमी का ज्ञापन दायर किया, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ज्ञापन दाखिल करना होगा।

2. ज्ञापन का स्वरूप, उसे दाखिल करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य मामले ऐसे होंगे जो इस संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं।

3. एक मध्यम उद्यम द्वारा जिस प्राधिकारी के साथ ज्ञापन दायर किया जाएगा वह ऐसा होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

4. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगी जिसके साथ एक सूक्ष्म या लघु उद्यम ज्ञापन दाखिल कर सकता है।

5. उप-धारा (3) और (4) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।"

**"18. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ-**

1. फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भ दे सकता है।

2. उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ प्राप्त होने पर, परिषद या तो स्वयं मामले में सुलह कराएगी या संचालन के लिए ऐसी संस्था या केंद्र का संदर्भ देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र की सहायता लेगी। सुलह और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 के प्रावधान ऐसे विवाद पर लागू होंगे जैसे कि सुलह उस अधिनियम के भाग III के तहत शुरू की गई थी।

3. जहां उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है, परिषद या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी या इसके लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित करेगी। मध्यस्थता और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी।

4. फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के बावजूद, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान

सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र के पास इस धारा के तहत स्थित आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसका अधिकार क्षेत्र और खरीदार भारत में कहीं भी स्थित है।

5. इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक संदर्भ पर ऐसे संदर्भ देने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

**"24. अधिभावी प्रभाव.-**

धारा 15 से 23 के प्रावधान तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

(11) जहां तक पहले सवाल का संबंध है, क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 के पंजीकरण से पहले देय राशि के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष शिकायत दायर की गई है, गैट्स फाइनेंशियल के मामले में यह न्यायालय रिकंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड (सुप्रा) ने देखा है कि "रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि संदर्भ अक्टूबर 2005 से संबंधित है जब एमएसएमईडी अधिनियम लागू नहीं था, इसलिए एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अधिनियम लागू हुआ था।" यानी 18.07.2006 इसलिए संदर्भ का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों को याचिकाकर्ता के उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के साथ पंजीकरण से पहले की गई सेवाओं के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। लिमिटेड (सुप्रा), यह माना गया कि "यह स्पष्ट है कि इन कार्यवाहियों के पक्षों के बीच विवाद उक्त अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले उत्पन्न हुआ था। मेरे विचार में, धारा 18 के तहत विवाद को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भित करने का उपाय पार्टियों के बीच मौजूदा मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद पर लागू नहीं होगा। यह भी माना गया कि "बेशक इन पहले चार याचिकाकर्ताओं को पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न होने के काफी समय बाद सूक्ष्म लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया था। मेरे विचार में, उक्त प्रावधान पिछले लेनदेन पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होंगे और इस प्रकार उक्त एमएसएमई अधिनियम के प्रावधानों की इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

(12) हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया

इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

> "26. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 2006 का अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसका अध्याय V केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान से संबंधित है। इसी प्रकार, आपूर्तिकर्ता को धारा 2(एन) के तहत केवल सूक्ष्म या लघु उद्यमों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, न कि मध्यम उद्यम के संदर्भ में। इस संदर्भ में 2006 के अधिनियम की धारा 8(1) प्रासंगिक हो जाती है। यह प्रावधान इस प्रकार है:
>
> '8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का ज्ञापन। -
>
> (1) कोई भी व्यक्ति जो स्थापित करने का इरादा रखता है,
>
> (a)एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने विवेक पर, या
>
> (b)सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने विवेक पर; या
>
> (c)उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु या, जैसा भी मामला हो, का ज्ञापन दाखिल करेगा। हो सकता है, या मध्यम उद्यम ऐसे प्राधिकार के साथ जो उपधारा (4) के तहत राज्य सरकार या उपधारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
>
> उसे उपलब्ध कराया ………..
>
> 27.इसलिए यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए राज्य सरकार या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ज्ञापन दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
> जैसा भी मामला हो, सरकार को इस संबंध में विवेकाधिकार दिया गया है। हालाँकि, धारा 2(एन), जहाँ तक यह आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करता है, का अर्थ है कि एक सूक्ष्म या लघु उद्यम को इस योग्यता के साथ पालन किया जाना चाहिए कि उसे धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दाखिल करना

चाहिए। हालाँकि, धारा 2(एन)(iii) के तहत परिभाषा के समावेशी भाग में कहा गया है कि कोई भी कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, और सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने और प्रदान करने में लगा हुआ हो। ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ भी आपूर्तिकर्ता के रूप में योग्य होंगी। परिभाषा के इस समावेशी भाग के संदर्भ में, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सूक्ष्म या लघु उद्यम, जिसका माल बेचा जा रहा है या जिसकी सेवाएँ कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या निकाय द्वारा प्रदान की जा रही हैं, को एक दायर करना चाहिए था 2006 के अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन।

28. इस परिभाषा की व्याख्या करना असंगत होगा कि एक सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए आपूर्तिकर्ता होने के लिए, उसे धारा 8(1) के तहत एक ज्ञापन दाखिल करना अनिवार्य होगा, लेकिन कोई भी कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या निकाय, जो या तो किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम का सामान बेचता है या सेवाएं प्रदान करता है, स्वचालित रूप से एक आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, भले ही ऐसे सूक्ष्म या लघु उद्यम ने स्वयं धारा 8(1) के तहत एक ज्ञापन दायर किया हो या नहीं! परिभाषा की समग्रता और अधिनियम की योजना और आयात को देखते हुए, यह न्यायालय विद्वान वकील श्री अशोक आनंद कुमार की दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, कि वह वाक्यांश जिसने धारा 2 (एन) में प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दायर किया है केवल अर्हता प्राप्त करना और परिभाषा के दायरे को कम नहीं करता है।

29. इसलिए, 2006 के अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत एक ज्ञापन दाखिल करना एक सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए एक शर्त नहीं है, जो अन्यथा 2006 के अधिनियम के तहत इस तरह के विवरण को संतुष्ट करता है, जिसे आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। धारा 2(एन) के तहत परिभाषित। इसलिए इनमें से प्रत्येक मामले में पहली प्रतिवादी कंपनी उक्त परिभाषा के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी और परिषद के समक्ष उनके दावे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे।

30.वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में इन मामलों में पहली प्रतिवादी कंपनी का पंजीकरण 2006 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपूर्ति वर्ष 2006 के बाद की गई थी और उससे पहले नहीं। . जब तक ये कंपनियां 2006 के अधिनियम की धारा 2(एन) के तहत आपूर्तिकर्ता थीं और धारा 18(4) के अनुसार परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित थीं, तब तक परिषद के पास उनके दावों से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। इस संबंध में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जो आवश्यक है वह केवल यह है कि वे परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं, न कि यह कि वे पंजीकृत हों या उनका पंजीकृत कार्यालय ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर हो। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इनमें से प्रत्येक मामले में पहली प्रतिवादी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित था और इसलिए उसने 2006 के अधिनियम की धारा 18(4) की आवश्यकता को पूरा किया।

(13) मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

"24. अधिनियम की धारा 2(एन) की जांच से पता चलता है कि यह दो भागों में है। पहला अंग एक आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है एक सूक्ष्म या लघु उद्यम जिसने अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दायर किया है और दूसरा अंग (i) को संदर्भित करता है
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम; (ii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम; और (iii) एक कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या एक निकाय जो सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने और ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। दोनों अंग शब्द से जुड़े हुए हैं
"और"। आमतौर पर, इसका मतलब यह होगा कि दोनों अंगों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम की धारा 2(एन) को पढ़ने का उपयुक्त तरीका नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि, माना जाता है कि, न तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम - जो भारत सरकार है

उद्यम - न ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लघु उद्योग विकास निगम को अधिनियम की धारा 8(1) के तहत निर्दिष्ट ज्ञापन दाखिल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, सभी श्रेणियों को समाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2(एन) के दो अंगों को पढ़ा जाना आवश्यक है। दूसरा अंग, जो 'आपूर्तिकर्ता' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली तीन श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है, छोटे और मध्यम उद्यमों की श्रेणी के अतिरिक्त है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दायर किया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित 'आपूर्तिकर्ता' शब्द को चार श्रेणियों में शामिल किया जाना चाहिए: (i) सूक्ष्म या लघु उद्यम जिन्होंने अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत ज्ञापन दायर किया है;

(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम;

(iii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम; और (iv) एक कंपनी सहकारी समिति, ट्रस्ट या एक निकाय जो सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने या ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है।

26. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि जीसीआईएल सूक्ष्म/लघु उद्यम की परिभाषा में आएगा, यहां तक कि भौतिक समय पर भी जब उसने आरआईएल के साथ अनुबंध निष्पादित किया था। जीसीआईएल एक कंपनी है और जीसीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ स्पष्ट रूप से एक सूक्ष्म/लघु उद्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं और इसलिए, जीसीआईएल - एक सूक्ष्म/लघु उद्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति में लगी हुई है - जो संस्थाओं की चौथी श्रेणी में आती है। आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल': यानी, एक कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने या ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था। ऐसी संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दाखिल करना आवश्यक नहीं है।

(14) दिलचस्प बात यह है कि गैट्स फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टर्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, परिषद के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की रिट की मांग के लिए रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में संदर्भ दायर किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त मामले में, संदर्भ अक्टूबर, 2005 का था, याचिकाकर्ता को 28.5.2010 को पंजीकृत किया गया था, संदर्भ के लिए आवेदन 11.7.2011 और 16.8.2011 को दायर किए गए थे और अधिनियम 18.7.2006 से लागू हुआ था। इन तथ्यों पर, निम्न विद्वान न्यायालय ने यह प्रश्न तैयार किया कि क्या अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए कार्यों पर लागू होंगे और क्या अधिनियम के प्रावधानों का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है। इसके पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए? इस पृष्ठभूमि में, यह टिप्पणी की गई कि अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता है और अधिनियम के प्रावधान पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए लागू नहीं हो सकते हैं।

(15) मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। लिमिटेड (सुप्रा), याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत दायर की गई थी [संक्षेप में '1996 का अधिनियम'] यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में मध्यस्थ का जनादेश समाप्त हो गया है। 1996 और याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत गठित परिषद से संपर्क करने का हकदार है क्योंकि उक्त परिषद विवाद का फैसला करने की हकदार है। उक्त मामले में भी लेन-देन उस दिन से बहुत पहले का था जिस दिन अधिनियम लागू हुआ था और अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता का पंजीकरण उक्त लेन-देन के काफी बाद हुआ था। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि चूंकि पार्टियों के बीच विवाद अधिनियम के अधिनियमन से पहले का है, इसलिए, विवाद को परिषद को संदर्भित करने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत उपाय मौजूदा विवाद से उत्पन्न होने वाले विवाद पर लागू नहीं होगा। पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता। हालाँकि, द इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता का रुख यह था कि प्रतिवादी-कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में "आपूर्तिकर्ता" की परिभाषा में नहीं आएगी। उस समय पंजीकृत किया गया था जब आपूर्ति की गई थी जबकि पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनिवार्य था। उक्त मामले में, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(एन) की व्याख्या की जो "आपूर्तिकर्ता" को परिभाषित करती है और चर्चा उक्त मामले के पैरा संख्या 27

से 30 (पहले से ही ऊपर पुन: प्रस्तुत) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि धारा 2(एन) अधिनियम केवल अर्हकारी है और परिभाषा के दायरे को कम नहीं करता है। अधिनियम की धारा 2(एन) को परिभाषित करते समय मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है और पैरा संख्या 24 (पहले से ही ऊपर पुन: प्रस्तुत) में इसकी चर्चा की गई है।

(16) मैं विनम्रतापूर्वक द इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) और मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामलों में दिए गए तर्क को मानूंगा, जो अधिनियम की धारा 2 (एन) की व्याख्या करते समय दर्ज किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दायर की गई शिकायत कायम रखने योग्य है। इस प्रकार पहला प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

(17) दूसरे मुद्दे के संबंध में कि अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही पार्टियों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड के मद्देनजर आगे नहीं बढ़ सकती है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मैसर्स के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। . स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य (सुप्रा) जिसमें अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ पर विचार करने के लिए परिषद के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल उठाया गया था। उक्त मामले में, आपूर्तिकर्ता ने याचिकाकर्ताओं को मध्यस्थता के खंड को लागू करने का नोटिस जारी किया और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा विवाद उठाया गया था। या तो मामला उसके द्वारा चुने गए मध्यस्थ के पास जाएगा या परिषद के समक्ष जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने परिषद के समक्ष विवाद के निपटान के किसी अन्य तरीके में प्रवेश करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पहले ही मध्यस्थ नियुक्त कर दिया था, लेकिन आपूर्तिकर्ता ने आगे बढ़कर परिषद के समक्ष संदर्भ दायर किया। इसमें याचिकाकर्ताओं ने परिषद के समक्ष आपत्ति दायर की और कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है और चूंकि परिषद ने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए परिषद को इस पर विचार करने से रोकने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। संदर्भ। उक्त मामले में, प्रासंगिक टिप्पणियाँ पैरा संख्या 11 और 14 में की गई थीं, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"11। मामले पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि अधिनियम की धारा 18(1), किसी भी पक्ष को धारा 17 के तहत देय राशि से संबंधित विवाद की अनुमति देती है यानी खरीदार द्वारा विक्रेता को देय राशि; सुविधा परिषद से संपर्क करने के लिए. विद्वान अतिरिक्त श्रीमती डांगरे ने इसका सही तर्क दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि पार्टियों के बीच कई तरह के विवाद हो सकते हैं जैसे कि माल की स्वीकृति की तारीख या स्वीकृति के अनुमानित दिन के बारे में, आपूर्ति की अनुसूची आदि के बारे में, जिसके कारण खरीदार को उठाए गए बिलों पर कड़ी आपत्ति हो सकती है। आपूर्तिकर्ता द्वारा उस स्थिति में खरीदार को परिषद से संपर्क करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए। हमने पाया कि धारा 18(1) स्पष्ट रूप से विवाद के किसी भी पक्ष, अर्थात् खरीदार और आपूर्तिकर्ता को परिषद के पास संदर्भ देने की अनुमति देती है। हालाँकि, सवाल यह है; इस तरह का संदर्भ दिए जाने के बाद अगला कदम क्या होगा, जब पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। हमने पाया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पार्टियों के बीच हुए मध्यस्थता समझौते को नकारता हो या अप्रभावी बना देता हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 24, जो धारा 18 सहित धारा 15 से 23 के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव देने के लिए अधिनियमित की गई है, जो अधिनियम के तहत विवाद के समाधान के लिए मंच प्रदान करती है-किसी मध्यस्थता को नकारने का प्रभाव नहीं डालेगी। सहमति क्योंकि वह धारा केवल ऐसी चीजों को ओवरराइड करती है जो धारा 18 सहित धारा 15 से 23 के साथ असंगत हैं, भले ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल हो। अधिनियम की धारा 18(3) में यह प्रावधान है कि जहां परिषद के समक्ष सुलह सफल नहीं होती है, परिषद स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए ले सकती है या इसे वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित कर सकती है और मध्यस्थता के प्रावधान और सुलह अधिनियम, 1996 इस प्रकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7(1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में मध्यस्थता के रूप में विवादों पर लागू होगा। मध्यस्थता और सुलह के लिए यह प्रक्रिया बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिसके तहत सभी मध्यस्थता समझौते निपटाए जाते हैं. इस प्रकार,

हम पाते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि धारा 18 मध्यस्थता के एक मंच का प्रावधान करती है, इसलिए पार्टियों के बीच किया गया एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता प्रभावी नहीं रहेगा। एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते का कोई प्रभाव समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अधिभावी खंड केवल असंगत चीजों को अधिभावी बनाता है और धारा 18 के तहत परिषद द्वारा आयोजित मध्यस्थता और एक व्यक्तिगत खंड के तहत आयोजित मध्यस्थता के बीच कोई असंगतता नहीं है क्योंकि दोनों ही शासित होते हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का प्रावधान।

14. इन परिस्थितियों में, हम प्रतिवादी नंबर 1 को मानते हैं
पार्टियों के बीच दिनांक 23.09.2005 के स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के मद्देनजर परिषद अधिनियम की धारा 18 (3) के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने की हकदार नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2, सुलह में भाग लेंगे, जो अधिनियम की धारा 18 (1) और (2) के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 1-परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1-परिषद पक्षों के समक्ष उपस्थित होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सुलह की प्रक्रिया पूरी करेगी। पार्टियों को 25.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 1-परिषद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त शर्तों में नियम को निरपेक्ष बना दिया गया है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।"

(18) याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया दूसरा निर्णय मेसर्स हिंदुस्तान वायर्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में था जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत याचिका दायर की गई थी ताकि यह घोषणा की जा सके कि जनादेश मध्यस्थ की नियुक्ति समाप्त हो गई और याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत परिषद से संपर्क करने का हकदार है। इस मामले में, प्रासंगिक टिप्पणियाँ निर्णय के पैरा 42 में की गई हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"जहां तक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और पंजाब और पंजाब सरकार के फैसले पर श्री मेहता, विद्वान वकील की निर्भरता का सवाल है

वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस दलील का समर्थन किया कि याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण कराया है और इस प्रकार पार्टियों के बीच विवाद, यदि कोई हो, को नियुक्त परिषद द्वारा हल किया जाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ उपयोगी होगा। उस मामले में इस अदालत की खंडपीठ ने माना है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि धारा 18 जो मध्यस्थता के मंच का प्रावधान करती है, पार्टियों के बीच किया गया एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता प्रभावी नहीं रहेगा। यह माना जाता है कि एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते का कोई प्रभाव समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ओवरराइडिंग क्लॉज केवल असंगत चीजों को ओवरराइड करता है और धारा 18 के तहत परिषद द्वारा आयोजित मध्यस्थता और एक व्यक्तिगत क्लॉज के तहत आयोजित मध्यस्थता के बीच कोई असंगतता नहीं है। दोनों मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान द्वारा शासित होते हैं। यह माना जाता है कि उस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पार्टियों के बीच किए गए मध्यस्थता समझौते को अस्वीकार या अप्रभावी बना देता है। मेरे विचार में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मेहता द्वारा की गई दलीलों में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 2006 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत खुद को पंजीकृत करने के बाद, वर्तमान कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पार्टियों के बीच किए गए मध्यस्थता समझौते या उस विवाद को केवल 2006 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त परिषद द्वारा हल किया जा सकता है। मेरे विचार में, पार्टियों के बीच मौजूदा मध्यस्थता समझौते के तहत कार्यवाही इसके अधिनियमन से प्रभावित नहीं होगी। उक्त अधिनियम और पार्टियों के बीच मौजूदा समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होना जारी रहेगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। मेरे विचार में, श्री मेहता द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।"

(19) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने वेलस्पन कार्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा) के इस मामले के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें काउंसिल ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया था कि समझौते में मध्यस्थता के संदर्भ का प्रावधान है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और यह कि विवाद का निर्णय परिषद के समक्ष नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18 और 24 पर चर्चा की है और माना है कि समझौते में मध्यस्थता खंड के बावजूद परिषद मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती है या उसे नियुक्त कर सकती है। उक्त निर्णय में प्रासंगिक चर्चा और निष्कर्ष पैरा संख्या 5, 6 और 7 में हैं, जो निम्नानुसार हैं: -

> "5. विद्वान वकील का तर्क होगा कि पढ़ना अधिनियम, 2006 की धारा 18 यह स्पष्ट करती है कि जहां तक यह 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 23016 (ओ एंड एम) और संबंधित मामलों [6] में सुलह का प्रावधान करती है, अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 के प्रावधान, जैसा लागू हो, यह इतना पढ़ा जाना चाहिए कि अधिनियम, 1996 की धारा 80 के तहत प्रावधान जो एक सुलहकर्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से रोकता है, उसे भी लागू किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 18(2) स्वयं धारा 65 से 81 की पूर्ण प्रयोज्यता की अनुमति देती है और इसलिए, धारा 18(1) में गैर-अप्रत्याशित खंड का उपयोग धारा 80 को ग्रहण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, यह धारा 18 का सही वाचन नहीं है। अधिनियम, 2006 में स्वयं ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो तुरंत अधिनियम, 1996 के अनुरूप हैं। यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम, 2006 भी संसद का एक अधिनियम है और यह यह एक विशेष अधिनियम है जो केवल व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है और उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने, विकास करने और बढ़ाने के लिए है। अधिनियम जहां तक इसमें सुलह और मध्यस्थता के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है, इस मुद्दे पर जीवित है कि यह अधिनियम, 1996 के कुछ प्रावधानों के साथ टकराव में आ सकता है। अन्य केंद्रीय के तहत प्रदान किए गए पुनर्प्राप्ति तरीकों से संबंधित कुछ अन्य संघर्ष भी हो सकते हैं अधिनियम. नतीजतन, धारा 24 के तहत एक स्पष्ट प्रावधान है, जो अधिनियम के एक व्यापक प्रभाव को बताता है। यदि कोई विरोध

नहीं था या संघर्ष होने की संभावना नहीं थी, तो ऐसा प्रावधान लागू करना भी व्यर्थ होगा। हमें संसद के अधिनियम के हर खंड को पढ़ना चाहिए, एक ज्ञान, जिसे अदालतें लागू करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इसका प्रयोग संसद द्वारा किया गया है।
विधान मंडल।

धारा 18(3) में प्रावधान है कि जहां धारा 18(2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है, परिषद स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी। इसलिए, जब धारा 18(3) के तहत सुलहकर्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का स्पष्ट प्रावधान है, तो यह तर्क देना तर्कसंगत नहीं होगा कि धारा 18 अभी भी लागू होगी। धारा 18(3) के लिए प्रतिबंधात्मक आवेदन वकील द्वारा यह तर्क देकर किया गया है कि यह खंड केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पार्टियों के बीच अपने अनुबंध में मध्यस्थता के लिए कोई समझौता नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि अनुबंध निर्दिष्ट करता है कि पक्ष अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, इसलिए उक्त अनुबंध को प्रभावी होना चाहिए। यदि क़ानून स्पष्ट प्रावधान करके अनुबंधों की विशिष्ट शर्तों की पवित्रता को नहीं बचाता है कि यह इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अधीन होगा, तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि कानून पार्टियों की व्यक्तिगत इच्छा पर हावी हो।

6. इस मामले में, यदि पार्टियों के बीच अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के लिए कोई अनुबंध हुआ था और सुलहकर्ता ने अपनी सुलह की स्थिति को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, तो वह खुद को मध्यस्थ के रूप में मानने और मध्यस्थ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम था। धारा 18(3) के तहत जिस तरीके पर विचार किया गया है। मैं धारा 18(3) को उस तरीके से नहीं पढ़ सकता जिस तरह से विद्वान वकील ने कहा है कि धारा 18(3) केवल तभी लागू होगी जब अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए पार्टियों के बीच कोई अनुबंध नहीं है। इसके विपरीत, बाद वाला धारा 18(3) का हिस्सा है कि अधिनियम, 1996 के प्रावधान किसी विवाद पर इस तरह लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी, इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा कि यह केवल उस

स्थिति पर लागू होता है जहां परिषद मानती है ऐसी मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाओं के लिए किसी भी संस्थान को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त है। धारा 18(3) दो प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है: (i) सुलह की समाप्ति पर, यह या तो स्वयं मध्यस्थता कर सकता है या (ii) मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है जैसे कि पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थ समझौता हो। मध्यस्थता समझौते के अभाव में भी परिषद के लिए मध्यस्थता का संदर्भ देना संभव है। यदि पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता है, तो इसका मतलब केवल यह है कि परिषद, अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना, शक्ति अभी भी उपलब्ध है। यह बस यह देख सकता है कि पार्टियों के बीच समझौते के संदर्भ में, पार्टियां अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता करने के लिए स्वतंत्र होंगी। यह इस निर्माण को बाहर नहीं करता है कि जब भी कोई मध्यस्थता खंड होता है, तो परिषद के पास नहीं होता है मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की शक्ति। इस तरह की व्याख्या धारा 18(3) के पहले भाग को निरर्थक बना देगी जो इसे मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसलिए, मैं उस विशिष्ट तर्क को बरकरार रखूंगा, जो विवादित आदेश में कहा गया है कि:

"यदि अधिनियम, 2006 की धारा 18 किसी विवाद के समाधान का एक तरीका प्रदान करती है, जिसमें इस परिषद को अधिनियम, 1996 के संदर्भ में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है, तो यह किसी भी पक्ष के लिए उक्त अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए खुला नहीं होगा। यह परिषद अधिनियम, 2006 की धारा 18(3) के तहत केवल एक आपसी समझौता करके निहित की गई है। उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर यह समझौता अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है।"

7. विद्वान वकील का कहना है, एक विशिष्ट प्रश्न पर कि याचिकाकर्ता को एक मध्यस्थ के रूप में परिषद के माध्यम से निर्णय प्राप्त करने में समस्या क्यों है, तर्क देगा कि पार्टियों के बीच अनुबंध प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति और नियुक्ति के प्रावधान पर विचार करता है। एक अंपायर, लेकिन वह उपाय खो जाएगा यदि परिषद को स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना पड़ता है जहां

उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा शून्य हो जाती है। वकील आगे तर्क देंगे कि अधिनियम, 2006 के अन्य कड़े प्रावधान भी हैं, जैसे धारा 19 के तहत एक आवेदन के लिए एक पुरस्कार के माध्यम से मध्यस्थ द्वारा निर्धारित राशि का 75% जमा करने की आवश्यकता, जो कि धारा 34 के तहत एक आवेदन है। अधिनियम, 1996 आदेश नहीं देता है। यह अधिनियम, 2006 और अधिनियम, 1996 के बीच प्रावधानों में असंगतता को इंगित करता है लेकिन अधिनियम, 2006 अभी भी अधिभावी प्रभाव के माध्यम से अपने आवेदन की प्रधानता प्राप्त करता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। यदि धारा 18 के तहत की गई मध्यस्थता पार्टियों के बीच भुगतान का निर्देश देने वाले पुरस्कार की ओर बढ़ती है, तो अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने का तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी धारा 19 के तहत निहित तरीके से ही होना चाहिए। अधिनियम, 2006। अनिवार्य रूप से, ऐसा होना ही चाहिए और यदि किसी क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान में एक गैर-विषयक खंड और अधिनियम का अधिभावी प्रभाव शामिल होगा, तो उसी अधिनियम को पूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए और यह संभव हो जाएगा अधिनियम, 1996 को केवल प्रक्रियाओं के ऐसे मामलों पर लागू करें जिनके लिए अधिनियम, 2006 स्वयं प्रावधान नहीं करता है। उदाहरण के लिए, अधिनियम, 2006 में मध्यस्थता प्रक्रिया आयोजित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है; अधिनियम, 2006 में मध्यस्थ की निष्पक्षता को चुनौती देने के प्रावधान नहीं हैं; अधिनियम, 2006 में अभी भी उस प्रक्रिया को लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है जहां किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में पुरस्कार प्राप्त किया गया हो। उपरोक्त केवल उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं। लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में, मध्यस्थ पुरस्कार की बाध्यकारी प्रकृति और पुरस्कार से संतुष्ट नहीं होने वाले व्यक्ति के निवारण के तरीके को धारा 18 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होना होगा और अधिनियम, 2006 का 19। इसलिए, मुझे लगता है कि यदि परिषद ने पाया कि अधिनियम, 2006 उसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है, तो मुझे उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलेगी।

(20) उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने के बाद, दोनों पक्षों द्वारा भरोसा करते हुए, मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए तर्क को अपनाऊंगा।

(21) अंत में जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने सही ही बताया है कि बड़ी राशि वर्ष 2017 की है जो याचिका के साथ संलग्न चालान से स्पष्ट है और दूसरी बात यह है कि इस मामले में सीमा का प्रश्न एक मिश्रित प्रश्न है। कानून और तथ्य जिस पर परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(22) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है.

(23) इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मुझे वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है और इसे लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा